भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 423
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

***423. श्री बैजयंत पांडाः**
श्री देवेश शाक्यः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) इन योजनाओं से अब तक कुल कितने किसान और पशुपालक सीधे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा तथा विशेषकर एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों सहित उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे सहित सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेषकर एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों में इन योजनाओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

1. मत्स्यपालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमएसवाई एक अम्ब्रेला (Umbrella) योजना है जिसके दो अलग-अलग घटक हैं, नामत: (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)। सीएसएस योजना में उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता 60% है। पीएमएमएसवाई के तहत, पिछले चार वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मत्स्यपालन और जलकृषि (एक्वाकल्चर) के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 412.31 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी सहित 1294.33 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय और ओडिशा को 479.45 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 1287.65 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय दिया गया है।
2. पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) (उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों हेतु 60% की केंद्रीय सहायता) तथा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) और पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ESVHD-MVU) घटक के तहत क्रमशः टीकाकरण तथा मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVUs) के अनुकूलन (कस्टमाइजेशन) हेतु 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) और ईएसएचडी-एमवीयू घटक के अन्य कार्यकलापों के तहत, उत्तर प्रदेश व ओडिशा राज्यों हेतु केंद्रीय सहायता 60% है। एलएचडीसीपी के तहत, पिछले चार वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तर प्रदेश के लिए 618.84 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 57.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। एनएलएम के तहत, पिछले चार वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 1450.93 लाख रुपये और ओडिशा के लिए 725.60 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित योजनाओं के लाभार्थी इस प्रकार हैं:

1. **मत्स्यपालन:**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पीएमएमएसवाई योजना के तहत 11,591 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। ओडिशा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएमएमएसवाई के तहत 7105 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

2. **पशुपालन:** एलएचडीसीपी के अंतर्गत मोबाइल पशुचिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के द्वारा टीकाकरण और पशुचिकित्सा देखभाल के माध्यम से रोगों को कम करके अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालकों की सहायता करती है। उत्तर प्रदेश में 520 एमवीयू के संचालन से 23.32 लाख किसानों को लाभ हुआ है और राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) घटक के तहत लगभग 1.07 करोड़ किसानों को शामिल किया गया। ओडिशा में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के तहत, लगभग 43.22 लाख किसानों को शामिल किया गया है। एनएलएम के तहत, एनएलएम-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) में अनुमोदित परियोजनाओं के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में 145 पशु प्रजनकों और ओडिशा में 3 प्रजनकों (ब्रीडर) को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, एनएलएम-पशुधन बीमा योजना के माध्यम

से, वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा में 6026 किसानों और उत्तर प्रदेश में 29,189 किसानों को लाभ हुआ।

(ग) और (ङ) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. **मत्स्यपालन विभाग:** मत्स्यपालन विभाग निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (**PMMSY):** पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मत्स्यपालन उद्यमियों, मत्स्य पालकों, मछुआरों और सभी संबंधित हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए मत्स्यपालन और जलकृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

(ii) मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (**FIDF**): मत्स्यपालन क्षेत्र की अवसंरचना संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु, मत्स्यपालन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) नामक एक समर्पित निधि कार्यान्वित कर रहा है।

(iii) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (**PM-MKSSY**): प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) पीएमएमएसवाई का एक केंद्रीय क्षेत्र घटक है। पीएम-एमकेएसएसवाई के निम्नलिखित घटक हैं:

(क) **घटक 1-क:** मत्स्यपालन क्षेत्र का औपचारिकीकरण (फॉर्मेलाईजेशन) और कार्यशील पूंजीगत निधियन के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मत्स्यपालन सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुलभ बनाना।

(ख) **घटक 1-ख:** जलकृषि बीमा अपनाने को सुलभ बनाना (लाभार्थी को प्रोत्साहन प्रदान करके)

(ग) **घटक 2:** मत्स्यपालन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता।

(घ) **घटक 3:** मत्स्य उत्पाद संरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार: इस घटक के तहत, मत्स्यपालन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मत्स्य उत्पाद संरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 11 सितंबर, 2024 को पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) का शुभारंभ किया। एनएफडीपी का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान डेटाबेस बनाकर भारतीय मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र को औपचारिक (फॉर्मेलाइज) बनाना है। यह संस्थागत ऋण प्राप्त करने, वित्तीय प्रोत्साहन का दावा करने और जलकृषि बीमा तथा निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह मत्स्य सहकारी समितियों और ट्रेसबिलिटी तंत्र को सुदृढ़ करता है। यह पहल निधियन तक पहुंच में सुधार और क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

2. पशुपालन और डेयरी विभाग: पशुपालन और डेयरी विभाग बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पशु आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पूरे देश में योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और साथ ही डेयरी व्यवसाय से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (**NPDD**): एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है:

(क) एनपीडीडी का **घटक "क"** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ दूध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक

प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ख) एनपीडीडी योजना के **घटक "ख"** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

(ii) **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (2% नियमित और समय पर एवं नियमित रूप से ऋण चुकाने पर 2% अतिरिक्त) प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों की सहायता करना।

(iii) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है और इस प्रकार असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।

(iv) **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** दुधारू (Bovine) पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सरकार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण तथा बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित कर रही है।

(v) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vi) **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** पशु रोगों के नियंत्रण के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करना, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत पशु औषधि नामक एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

उत्तर प्रदेश (एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों सहित) और ओडिशा में मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं की प्रगति का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों में योजनाओं का प्रभाव **अनुबंध-2** में है।

*****

अनुबंध 1

उत्तर प्रदेश (एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों सहित) और ओडिशा में मत्स्यपालन विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति का विवरण

1. वित्तीय प्रगति

1.मत्स्यपालन विभाग (DOF): उत्तर प्रदेश और ओडिशा में मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति:

1.1. पीएमएमएसवाई: पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 54 अनुमोदित कार्यकलापों हेतु 152.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह, ओडिशा के लिए 223.68 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

1.2. एफआईडीएफ: दोनों राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण, कोई निधि जारी नहीं की गईं।

1.3. पीएम-एमकेएसएसवाई: अब तक NFDP पर 21, 53, 440 मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों ने पंजीकरण किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 64941 और ओडिशा से 145441 पंजीकरण हुए हैं।

2.पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD): उत्तर प्रदेश और ओडिशा में डीएएचडी के तहत योजनाओं की प्रगति:

2.1. NPDD: पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के दौरान, ओडिशा की 1 परियोजना को अनुमोदन दिया गया है और 1591.08 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में 10 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और 5768.77 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

2.2. एसडीसीएफपीओ: SDCFPO के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज सबवेंशन के रूप में 21.65 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। ओडिशा राज्य द्वारा ब्याज सबवेंशन के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2.3. एएचआईडीएफ: AHIDF के तहत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के दौरान, ओडिशा की 7 परियोजनाओं के लिए 106.45 करोड़ रुपये की ऋण राशि और 4.93 करोड़ रुपये ब्याज सबवेंशन के रूप में जारी किए गए हैं। इसी तरह, उत्तर प्रदेश की 21 परियोजनाओं के लिए 307.62 करोड़ रुपये की ऋण राशि और 19.79 करोड़ रुपये ब्याज सबवेंशन के रूप में जारी किए गए हैं।

2.4 आरजीएम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत, वर्ष 2019 में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए द्वार पर निःशुल्क एआई डिलीवरी प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश में अब तक 125.44 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 185.76 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और इस कार्यक्रम के तहत 72.20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और ओडिशा में कुल 46.53 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 61.10 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 29.48 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

2.5. एनएलएम: NLM के तहत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के दौरान, ओडिशा को 465.50 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश को 462.94 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

2.6. एलएचडीसीपी: LHDCP के तहत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24) के दौरान, उत्तर प्रदेश को 39368.94 लाख रुपये और ओडिशा को 3214.10 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

अनुबंध-2

उत्तर प्रदेश में विशेषकर एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिले में योजनाओं का प्रभाव

मत्स्यपालन विभाग (DOF):

1. **पीएमएमएसवाई:** PMMSY योजना के तहत, कुल 11,591 लाभार्थियों में से 523 लाभार्थी एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों के हैं। यह महत्वपूर्ण समावेशन इन क्षेत्रों की अप्रयुक्त क्षमता को रेखांकित करता है और इन प्रमुख क्षेत्रों में विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने पर सरकार के रणनीतिक फोकस को दर्शाता है।
2. **पीएम-एमकेएसएसवाई:** PM-MKSSY के तहत उत्तर प्रदेश में एनएफडीपी पर पंजीकृत 64941 मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों में से 3045 एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिले से हैं।

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD):

1. **एनपीडीडी:** NPDD योजना किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुँच प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक डेयरी कार्यकलापों में अवसंरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया सहित उत्तर प्रदेश में 3425 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/पुनरुद्धार किया गया; डेयरी सहकारी समितियों में 63.90 हजार नए किसानों को नामांकित किया गया; 103 हजार लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई; ग्राम स्तर की डेयरी सहकारी समितियों में 64 हजार लीटर प्रशीतन क्षमता वाले 26 बल्क मिल्क कूलर; 3242 स्वचालित दूध संग्रहण इकाई और डेटा प्रसंस्करण और दूध संग्रहण इकाई स्थापित की गई; 13 डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।
2. **एसडीसीएफपीओ:** SDCFPO योजना के तहत, लखनऊ और वाराणसी दुग्ध संघ के लिए 51.50 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के लिए नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 21.65 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

3. **एएचआईडीएफ:** AHIDF योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 21 लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता स्थापित करने के लिए 15 अवसंरचना विकास परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई। पशु आहार संयंत्र के लिए एटा में 1.20 एमटीपीडी की क्षमता वाली एक परियोजना को संस्वीकृत किया गया। मैनपुरी जिले में डेयरी संयंत्र के लिए 2.71 एलएलपीडी प्रसंस्करण क्षमता वाली एक परियोजना को संस्वीकृति दी गई है।

4. **आरजीएम:** RGM के तहत 3 गोकुल ग्राम (डीयूवीएएसयू मथुरा, आराजीलाइन्स वाराणसी और सिमरा विरान, शाहजहांपुर में स्थित) की स्थापना ।

पूछे गए जिलों में एनएआईपी (NAIP) प्रगति इस प्रकार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किए गए कुल कृत्रिम गर्भाधान	लाभावन्वित किसानों की कुल संख्या
1	औरैया	126353	178480	71442
2	एटा	148456	201690	83954
3	कन्नौज	83139	129869	55241
4	कासगंज	105559	153413	58537
5	मैनपुरी	114297	162930	88264

एनएलएम: NLM के तहत उत्तर प्रदेश में 145 उद्यमियों को 579.92 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। एटा, मैनपुरी और औरैया जिले के प्रत्येक उद्यमी की 3 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं, जिनकी परियोजना लागत क्रमशः 28 लाख, 21 लाख और 100 लाख रुपये है।

एलएचडीसीपी: LHDCP के अंतर्गत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत राज्यों की सहायता की जाती है, जिसमें रोगों की सीरो-निगरानी और सीरो-मॉनिटरिंग भी शामिल है। अब तक, उत्तर प्रदेश राज्य में एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के लिए क्रमशः कुल संचयी 2331.89 लाख, 110.37 लाख, 155.92 लाख और 6.39 लाख वैक्सीन खुराकें दी गई हैं।

पूछे गए जिलों में टीकाकरण का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	**उ.प्र. जिला**	**एफ़एमडी चरण 5**	**एफ़एमडी चरण 4**	**ब्रुसेलोसिस**	**पीपीआर**	**सीएसएफ़**
1	औरैया	438100	441000	15725	597	उपलब्ध नहीं
2	एटा	607535	615400	24925	उपलब्ध नहीं	560
3	कन्नौज	599000	599000	23138	130	उपलब्ध नहीं
4	कासगंज	607350	597653	26815	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	मैनपुरी	732600	732600	18384	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

******